न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री छगनलाल गोयल आर0ए0एस

सप्लाई विविध प्रकरण सं 09/2017

<u>प्रार्थी</u>

राज्य सरकार जरिये
प्रवर्तन अधिकारी
जिला रसद कार्यालय, जोधपुर

बनाम

<u>अप्रार्थी</u>

दलपत सिंह
उचित मूल्य दुकान
ग्राम पंचायत धुन्धाडा
तहसील लूणी, जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 'ए' आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 धारा 6 'ए' सपठित राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियम आदेश 1976 सार्वजनिक वितरण प्रणाली कंट्रोल आदेश 2001

<u>उपस्थित</u>

1. प्रार्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित

<u>आदेश</u> दिनांक 12.03.2018

यह प्रकरण राज्य सरकार जरिये प्रर्वतन अधिकारी जिला रसद अधिकारी, जोधपुर ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 'ए' सपठित राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियम आदेश 1976 सार्वजनिक वितरण प्रणाली कंट्रोल आदेश 2001 के तहत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 77 (1) खा.वि./सत/जोधपुर दिनांक 27.05.17 की अनुपालना में विशेष जांच दल श्री गौतमचन्द जैन जिला रसद अधिकारी (उपार्जन) एवं अन्य तथा स्थानीय प्रवर्तन अधिकारी नीलकमल माथुर द्वारा परवतसिंह की उपस्थिति में मोबाईल दुकान का निरीक्षण किया।

1. जांच के दौरान उपलब्ध रिकार्ड विक्रेता के स्टोक के अन्दर लेवी चीनी 6.59 क्विं प्रारम्भिक स्टोक दर्ज होना पाया उक्त जांच तक विक्रेता पोश मशीन अथवा ऑनलाईन किसी प्रकार का लेवी चीनी का वितरण नहीं पाया गया। भौतिक सत्यापन करने पर स्टोक में 8 क्विं 9 किलोग्राम चीनी पाई गई।

2. मोबाईल दुकान के रिकार्ड/दुकान में उपलब्ध राशन सामग्री का सत्यापन करने पर चीनी 6.59 क्विं के बजाय 8.09 क्विं पाई गई जो वांछित मात्रा से 1.50 क्विं अधिक थी। जिसका कोई संतोषजनक जवाब मौके पर उपस्थित दलपतसिंह के कार्मिक परवतसिंह द्वारा नहीं दिया।

3. वांछित मात्रा से अधिक चीनी दुकान में होने के कारण ओर वांछित मात्रा से अधिक चीनी का संतोषजनक जवाब नहीं देने व खुर्दबुर्द करने की आशंका के मध्यनजर दुकान में उपलब्ध 8.09 क्विं चीनी को खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ वितरण प्रणाली का विनिमयन आदेश 1976 के तहत जारी उपबन्धों का उल्लघंन करने के कारण वजह सबूत एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु जब्त कर सुपुदर्गी में लाखाराम उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत धुन्धुडा को सुरक्षा की दृष्टि से एवं अग्रिम कार्यवाही तक दिया गया।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि उक्त चीनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपयोगताओं को वितरण की जाने वाली है।

अतः उक्त चीनी के निस्तारण के आदेश फरमावे।

अप्रार्थी दलपतसिंह उपस्थित होकर लिखित में अवगत कराया कि मेरे उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण के दौरान 1.50 किलो चीनी ज्यादा पाई गई, जो गांव के कुछ लोगों के पास चीनी लेने का साधन नहीं होने के कारण चीनी अंगुठा करके वहीं रखकर बाद में ले जाने का कह कर चले गये थे।

1. वजाराम पुत्र रूपाराम	7.14
2. रतनाराम पुत्र मांगीलाल	7.14
3. ओमप्रकाश पुत्र मांगीलाल	5.10
4. रावताराम पुत्र वागाराम	8.16
5. भीमाराम पुत्र वरदाराम	5.10
6. भगवती पुत्र देवीसिंह	6.12
7. टीपू पुत्र पोकरराम	6.12
8. अणदाराम पुत्र वरदाराम	7.14
9. ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल	5.10
10. रसाल कंवर पुत्र प्रतापसिंह	4.8
11. केराराम पुत्र वीटाराम	9.18
12. सोमाराम पुत्र खगाराम	6.12
यूनिट 75X2	150 किलो

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब की अध्ययन किया। प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद अधिकारी जोधपुर ने दिनांक 01.06.17 को गठित जांच दल के साथ अप्रार्थी की मोबाईल दुकान के रिकार्ड / दुकान में उपलब्ध राशन सामग्री का सत्यापन करने पर 1.50 क्विं चीनी पाई गई। उक्त चीनी का राशन धारकों का पोश मशीन अथवा ऑनलाईन किसी प्रकार का लेवी चीनी का वितरण नहीं पाया गया।

अप्रार्थी ने लिखित में जवाब पेश कर अवगत कराया कि 1.50 क्विं चीनी जो ज्यादा पाई गई है वह गांव के कुछ लोगों के पास चीनी लेने का साधन नहीं होने के कारण चीनी अंगुठा करके वही पर रख दी और बाद में ले जाने कह कर चले गये।

मौका जब्ती / सुपुर्दगीनामा दिनांक 01.06.2017 के अनुसार मौके पर चीनी का भौतिक सत्यापन करने पर 16 कट्टे 50 किलो तथा 9 किलो मात्रा खुली पायी गयी।

अतः अप्रार्थी दलपत सिंह की यह दलील कि उक्त चीनी 12 उपभोगताओं की थी, विश्वसनीय नहीं है। यदि ऐसा होता तो चीनी 12 पैकेट में उनको आवंटित मात्रा के अनुसार होती।

अतः राजस्थान खाद्यान्न एव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का नियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं 2,5,6,7,8,11, 17 (C) व 18 का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना पाया जाता है।

अतः धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जब्त सुदा 1.50 क्विं चीनी को राज्यसात (Confiscate) किया जाता है।

प्रर्वतन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी जोधपुर को निर्देश है कि राज्यसात की गई 1.50 क्विं चीनी का अधिकृत राशन डीलर के मार्फत विक्रय कर प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति पालना हेतु जिला रसद अधिकारी जोधपुर को प्रेषित की जावे।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 12.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर